GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

E-mail: elementaryps@gmail.com - Site: www.harprathmik.gov.in

ई–मेलः

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांक– 33/2–2025 पी0एस0 (ई0–1)
दिनांक पंचकूला :– 18.03.2025

विषयः– **मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (CHEERAG) स्कीम के तहत शैक्षणिक वर्ष 2025–26 में कक्षा पाँचवी से बारहवीं में मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों में दाखिले बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में शैक्षणिक वर्ष 2024–25 में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र जिनके अभिभावकों की वार्षिक सत्यापित आय परिवार पहचान पत्र अनुसार 1 लाख 80 हजार रूपये या उससे कम है, उन छात्रों के दाखिले **शैक्षणिक वर्ष 2025–26 में कक्षा पाँचवी से बारहवीं में** निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सहमति उपरांत सम्बन्धित विद्यालयों में करवाने हेतु स्कूलों की सूची एवं विभागीय गाईडलाईन की प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

विद्यालय अनुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वैबसाईट https://harprathmik.gov.in/ व https://schooleducationharyana.gov.in/ पर दिये गए Latest News सैक्शन के अंतर्गत What's new section में Guidelines regarding admission in recognized private schools under CM Haryana Equal Education Relief, Assistance and Grant (CHEERAG) Scheme पर उपलब्ध है।

संलग्न– 1. प्रारूप आवेदन पत्र।
2. गाईड लाईन की प्रति।
3. स्कूलों की सूची।

ए.आर.ओ.–कम उप अधीक्षक पी0एस0(ई0),
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

क्रमांक–सम–
दिनांक– 18.03.2025

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती हैः–

1. उपनिदेशक, आई.टी. सैल से अनुरोध है कि गाईडलाईन, आवेदन पत्र का नमूना एवं विद्यालयों की सूची विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. अधीक्षक, प्राईवेट स्कूल, सैकेण्डरी शिक्षा।

ए.आर.ओ.–कम उप अधीक्षक पी0एस0(ई0),
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

Price of Form: NIL

Application Form for Admission under CHEERAG Scheme

Class 5th to 12th

For the Academic Year 2025-26

Sl.No.2022/School Sr. No.

Affix Latest Photograph

Admission No.____________________(For Office Use)

Student SRN No.. ....

To

The Principal/Head Master

____

Sir/Madam,

I request you to admit my son/daughter/ward to ....class under the CHEERAG Scheme. The required particulars are given below:

1.	Name of the student in full (in Block letters)	First Name	Middle Name	Surname
2	Name of father/parents			
3	Date of birth	In figures		In words
		DD MM YYYY		
4	Student/parents Residential address with address proof			
5	Aadhar Number/ PPP No. and Blood group of child			
6	Annual Income of the parents in 2024-25 (Both father & Mother)			
7	Telephone/Mobile No. (Mandatory) and e-mail id	Office__________ Residence:__________ Mobile__________ E-mail:__________ Emergency contact no.__________		
8	The student belongs to economically weaker section (EWS). The certificate issued should not be older than 6 months as on 1st April of the year of admission	Yes/No If Yes, enclose relevant certificates.		
9	Name of the Govt. School with address in which student studying in academic session 2024-25			
10	Name of Block of Govt. School in which student studying in academic session 2024-25			

DECLARATION BY PARENT/GUARDIAN

a) I hereby declare that the information given about my son/daughter/ward (name of the child) ______________furnished by me is true and correct.

b) I am also aware that if the information furnished above is found to be false or incorrect at any stage, the admission will be cancelled and the child will be withdrawn from the school.

Date____________________

Signature of the Parent/Guardian

Name:

....

RECEIPT

Sr. No....................

______________________________(School Name) received an admission form from Master/Miss ______________son/daughter of ________________________________for admission to class__________.

I have personally verified the copies of the required documents/enclosures which are attached herewith.

Date:-

(Dealing Clerk/ Incharge)

विषयः– **शैक्षणिक सत्र 2025–26 में मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (CHEERAG) स्कीम के तहत सहमति प्राप्त मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों में दाखिले देने बारे दिशा–निर्देश।**

1. उक्त योजना कक्षा 5 से 12 तक लागू होगी।
2. इस स्कीम के तहत केवल वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से प्राप्त/उत्तीर्ण की होगी।
3. छात्र दाखिले हेतु केवल उसके वर्तमान खण्ड जिसमें वे पढ़ रहे हैं उसी खण्ड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होगें तथा वे खण्ड में एक से अधिक विद्यालयों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4. सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की कक्षानुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वैबसाईट पर दर्शाया जाएगा।
5. सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय कक्षानुसार घोषित सीटों की जानकारी अपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे।
6. अभिभावक/छात्र सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में आवेदन एवं दाखिला प्राप्त कर सकते हैं।
7. इस दाखिला अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विद्यालयों में विभागीय मनोनीत सदस्य नियुक्त करेंगे। जिसके लिए वह विद्यालय के नजदीक के खण्ड शिक्षा अधिकारी/सरकारी विद्यालय के किसी प्राचार्य/मुख्याध्यापक/ पी.जी.टी./अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं।
8. प्राईवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों के अभिभावकों की आय 1 लाख 80 हजार रूपए एवं इससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा तथा वह आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी।
9. जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को अभिभावक/छात्र द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा वह विद्यालय अभिभावक/छात्र को पावती (रसीद) अवश्य देगा।
10. सफल छात्र का पिछले सरकारी विद्यालय से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC), आवेदन तिथि के पश्चात लिया जाना अनिवार्य होगा।
11. दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आई.डी–परिवार पहचान पत्र (PPP No.) का होना अनिवार्य है जिसमें परिवार की वार्षिक आय वर्ष 2024–25 में 1 लाख 80 हजार या उससे कम होनी चाहिए।
12. विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों का डेटा MIS पोर्टल पर अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा तथा दाखिल होने वाले छात्रों की सूचना विभाग को दाखिले की अन्तिम तिथि के 15 दिनों के अन्दर–अन्दर भेजनी होगी।

नोटः– **जिन सहमति प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा चिराग योजना की गाईडलाईन के प्रावधान अनुसार विद्यालय में दाखिले नहीं किये जाएंगे, उन छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए शिक्षा विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।**

उपरोक्त दिशा–निर्देश सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किये जा रहे हैं।